न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00380 (258/2018) 223 आरटीएक्ट

1. रूघाराम पुत्र कृष्ण लाल
2. प्रभुराम पुत्र कृष्ण लाल
3. श्रीमति रेशमीदेवी पत्नी श्री कृष्ण लाल

} जाति मेधवाल निवासी वार्ड नं. 13 केएसपी (बी) मुण्डा, तहसील व जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट

बनाम

1. लीलूराम पुत्र श्री मनफूल राम जाति मेघवाल निवासी खैदासरी, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. श्रीमति कमला पत्नी श्री सुरजाराम
3. श्रीमति सिंगारी पत्नी श्री सुरजाराम

} जाति मेघवाल निवासी नगराना, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ

–रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2010 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ प्रकरण संख्या 31/2009

श्री मोहन मुंन्जाल अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री भूपेन्द्र सिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1

श्री सोमप्रकाश शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 2 व 3

निर्णय दिनांकः–23.12.2019

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट के पिता कृष्ण एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लीलूराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया। वाद पत्र में वर्णित भूमि चक 13 केएसपी–बी व 13 बीजीपी की 7.547 है0 कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम वाद पत्र में दर्ज हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं रिकार्ड में प्रष्विटि करने एवं चक 13 केएसपी 'बी' में दर्ज प्रतिवादीगण का नाम हटाणे व चक 13 बीजीपी में सिर्फ 1.012 है हिस्सा दर्ज किये जाने व शेष 6.535 है. भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा। दिनांक 16.02.2019 को उभयपक्ष ने राजीनामा पेश किया एवं विचारण न्यायालय ने राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.03.2009 को पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश करना जाहिर किया व दिनांक 16.03.2009 को राजीनामा पेश किया गया तथा दिनांक 12.06.2009 को को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। और दिनांक 25.02.20110 को मुताबिक राजीनामा निर्णय व डिक्री पारित की गई। प्रश्नगत दोनों चकों की कुल 7.547 है0 भूमि मोती वल्द गिरधारी के स्वामित्व की थी। मोती के दो पुत्र सुरजाराम व मनफूल राम थे जिनका देहान्त हो चुका है। मोती के दोहान्त के बाद 13 केएसपी बी की कृषि भूमि गैर खातेदारी थी तथा उसकी आवंटन कीमत की अदायगी होना शेष थी। सुरजाराम व मनफूलराम ने पारिवारिक तौर पर यह तय पाया कि चक 13 केएसबी 'बी' की बकाया आवंटन कीमत अदायगी मय ब्याज श्री मनफूलराम करेंगे तथा इसमें सुरजाराम का कोई हिस्सा नहीं होगा तद्नुसार मनफूल ने इसकी खातेदारी सनद प्राप्त की। सुरजाराम व मनफूल का भी देहान्त हो गया सुरजाराम के तत्समय जीवित वारिसान ने संयुक्त रूप से मनफूलराम के वारिसान लीलाराम व कृष्ण के पक्ष में दस्तावेज त्यागपत्र दिनांक 23.02.2008 निष्पादित व पंजीबद्ध करवा दिया। इस दस्तावेज त्यागपत्र में कमलादेवी को श्री सुरजाराम की पत्नी की बजाय सहवन से पुत्री दर्ज कर दिया गया था।

4. चक 12 एसबीएन की वर्णित भूमि उनकी पुत्री मामकौरी द्वारा हकत्याग करने के बाद राजस्व अभिलेख में श्री मोती के हक व हिस्सा की 7.547 है0 भूमि सुरजाराम व मनफूलराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई।

5. श्री लीलूराम व श्री कृष्ण द्वारा 13 केएसपी 'बी' की कृषि भूमि का राजस्व अभिलेख में नामान्तरण दस्तावेज दस्तबरदारी के आधार पर करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र मय मय दस्तावेज राजस्व अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किये तो राजस्व अधिकारियों ने दस्तावेज दस्तबरदारी में कमला को सहवन से सुरजाराम की पत्नी दर्ज न होने के कारण लीलूराम व कृष्ण के पक्ष में नामान्तरण दर्ज नहीं किया तब कमलादेवी के दामाद श्री प्रेमकुमार ने श्री लीलूराम व कृष्ण को अपने साथ हनुमानगढ लाकर कृषि भूमि का नामान्तरण लीलूराम व कृष्ण के पक्ष में करवाने की कार्यवाही होना वर्णित कर दावा व कथित राजीनामा दिनांक 16.03.2009 पर अंगूठा/हस्ताक्षर करवा लिये। जिस पर अपीलाधीन निर्णय एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री पारित की गई और उसका नामान्तरण लीलूराम व कृष्णलाल के नाम दर्ज हो गया।

6. मनफूलराम व सुरजाराम के नाम दर्ज 12 एसबीएन की कृषि भूमि कुल 7.547 है0 में से 1/4 हिस्सा की भूमि पर कृष्ण लाल एवं कृष्णलाल की मृत्यु के उपरान्त अपीलाण्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं 1/4 हिस्से पर श्री लीलूराम का कब्जा काश्त चला आ रहा है। 1/2 हिस्सा पर रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 का कब्जा काश्त चला आ रहा है।
7. लीलूराम व श्री कृष्णराम व श्री कृष्णलाल को अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष प्रस्तुत दावा व राजीनामा को दस्तावेज दस्तबरदारी में सहवन से कमला को श्री सुरजाराम की पुत्री होना दर्ज करने की दुरूस्ती की कार्यवाही होने बाबत मिथ्या वर्णन कर फर्जकारी तरीके से उनके हस्ताक्षर करवाये गये हैं। सुरजाराम की पुत्रियां सरोज व सन्तोष आवश्यक पक्षकार थी लेकिन उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश आवश्यक पक्षकारों के संयोजन के बिना दोष से ग्रसित हैं।
8. चक 12 एसबीएन तहसील संगरिया की कृषि भूमि में अपीलाण्ट्स का 1/4 हिस्सा तथा श्री लीलूराम रेस्पोडेण्ट सं. 1 का 1/4 हिस्सा वाजिब बनता हैं। प्रकरण में से लीलूराम व श्री कृष्ण लाल को मात्र 1.012 है0 दिया जाना वर्णित किया है जो वर्णित पारिवारिक बंटवारा विधितः स्वीकार्य होने योग्य नहीं है। अपीलाण्ट जब चक 12 एसबीएन तहसील संगरिया की भूमि का विरास्तन इंतकाल दर्ज करवाने के लिए श्रीमान तहसीलदार साहब संगरिया के समक्ष गये तो रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने दिनांक 29.06.2018 को तहसीलदार संगरिया के समक्ष चुनौतीधीन निर्णय व डिक्री के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया तब अपीलाट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान हुआ। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमाई जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 2007 पेज 1169 का दृष्टान्त पेश किया।
9. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के पिता कृष्ण एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने वाद प्रस्तुत किया था। वादपत्र में हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं प्रतिवादीगण का नाम हटाने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अनुतोष चाहा गया था। वादपत्र में राजीनामा पेश किया गया और राजीनामा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं पारित की गई है। दावा अपीलाण्ट का था, राजीनामा इनके द्वारा किया गया, दावा डिक्री इनका हुआ है, प्रकरण में इजराय भी इनके द्वारा लगाई गई थी, फिर भी इनके द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध लगभग 8 वर्ष बाद अपील की जा रही है। जो इन्होंने ने दावा में मांगा वो इनको मिल चुका है फिर इनके द्वारा अपील किस आधार पर प्रस्तुत की गई ये स्पष्ट नहीं किया है। 8 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण कथित नहीं किया गया है। राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन मे आरबीजे 2018 पेज 357, डीएनजे 2016 (राज.एच.सी.) पेज 201, आरबीजे 2018 पेज 524, आरबीजे 2015 पेज 671, आरआरटी 2013 (1) पेज 708 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

10. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

11. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत देस्तावेज मात्र देस्तावेजों की फोटो प्रतियॉ हैं, कोई भी प्रति प्रमाणित प्रति नहीं है, दस्तावेजों की फोटो प्रतियों का कोई महत्व नहीं है जो साक्ष्य में ग्राह्य नही है। अतः अपीलाट का आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

12. अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में चक 13 केएसपी 'बी' तहसील हनुमानगढ एवं 12 बीजीपी तहसील संगरिया की कुल 7.547 है0 भूमि के संदर्भ में घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था। वाद प्रस्तुत होने पर दिनांक दिनांक 16.03.2009 को राजीनामा पेश हुआ। राजीनामा पेश होने के बाद दिनांक 12.06.2009 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई और दिनांक 25.002.2010 को राजीनामा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये थे। राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय में बाकायदा तस्दीक किया गया है राजीनामा की पुस्त पर अंकित है कि ''आज यह राजीनामा पक्षकारों द्वारा पेश किया गया। राजीनामा पढकर सुना गया गया । सुनकर सही होना स्वीकार यिा। वादीगण की शिनाख्त श्री ओमप्रकाश पारीक एड व संजयपाल गोदारा एड ने की शनाख्त के आधार पर राजनामा तस्दीक किया जाता है।'' इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण एवं प्रतिवादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

ने राजीनामा प्रस्तुत किया और विचारण न्यायालय ने राजीनामा के आधार पर वाद वादी डिक्री किया है।

13. वादी का वाद राजीनामा के आधार पर डिक्री होने के उपरान्त वादीगण द्वारा ही यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील लगभग 8 वर्ष उपरान्त प्रस्तुत की है। विलम्ब का कोई समुचित कारण कथित नहीं किया है। जब अपीलाण्ट का स्वयं का वाद राजीनामा के आधार पर डिक्री हुआ है तो उसे अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान लगभग 8 वर्ष उपरान्त होने का तथ्य स्वीकार्य नहीं है। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे 2015 पेज 671 में यह अभिनिर्धारित है कि राजीनामे से पारित डिक्री के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील पोषणीय नहीं है। इसी प्रकार आरबीजे (25) पेज 2018 में यह रोशन किया गया है कि राजीनामे पर हस्ताक्षर करने वाले परिवादिया की शिनाख्त अधिवक्तओं के द्वारा की गई है तो कोइ भी पक्षकार राजनामे के बाबत इन्कार नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में जबकि **अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण/वादीगण का वाद राजीनामा के आधार पर डिक्री किया हुआ है जिनकी शिनाख्त अधिवक्तागण ने की है उसके आधार पर वाद डिक्री हुआ है और उस आदेश की अपील भी अपीलार्थीगण ने लगभग 8 वर्ष बाद प्रस्तुत की है जिसका भी कोई समुचित कारण कथित नही किया है।** ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है एवं उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलाण्ट की अपील भी इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है जो खारिज किये जाने योग्य है।

14. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है एवं राजीनामा के विरूद्ध अपील पोषणीय नही होने के कारण खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2010 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

15. निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास आशाराम डूडी आर0ए0एस0

अपील संख्या 2018/00380 (258/2018) 223 आरटीएक्ट

1. रूघाराम पुत्र कृष्ण लाल
2. प्रभुराम पुत्र कृष्ण लाल
3. श्रीमति रेशमीदेवी पत्नी श्री कृष्ण लाल

} जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 13 केएसपी (बी) मुण्डा, तहसील व जिला हनुमानगढ। --अपीलाण्ट

बनाम

1. लीलूराम पुत्र श्री मनफूल राम जाति मेघवाल निवासी खैदासरी, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. श्रीमति कमला पत्नी श्री सुरजाराम
3. श्रीमति सिंगारी पत्नी श्री सुरजाराम

} जाति मेघवाल निवासी नगराना, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ

--रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2010 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ प्रकरण संख्या 31/2009

आज यह अपील रूबरू हाजिर, श्री मोहन मुंन्जाल अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री भूपेन्द्र सिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1, श्री सोमप्रकाश शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 2 व 3 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है एवं राजीनामा के विरूद्ध अपील पोषणीय नही होने के कारण खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2010 यथावत रखा जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 23.12.2019 को जारी की गई।

(आशाराम डूडी) आर. ए. एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.01.10 14:16:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: